JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका पर एक विस्तृत रिसर्च पेपर नीचे दिया गया है

Sandeep

25LAW4LLM0024

Guided By Roshani Pandey ma'am

Sage University Indore

Institute of legal and law studies

1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और प्रगति से लिखित संविधान है इसके भाग तीन में नागरिकों मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है लेकिन अधिकार केवल कागजों पर सुरक्षित नहीं रह सकते उन्हें लागू करने और राज्य ही मनमानी से बचने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र की आवश्यकता होती है इसी तंत्र को न्यायिक समीक्षा कहा जाता

1.1 न्यायिक समीक्षा न्यायपाली का कि वह शक्ति है जिसके तहत वह विदाई का द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है यदि कोई कानूनी नीति संविधान के प्रावधानों विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसे शून्य अवैध और संवैधानिक घोषित कर सकती है

1.2 भारतीय संविधान के भाग तीन के तहत पदक मौलिक अधिकार मात्रा विज्ञानी घोषणा नहीं है बल्कि यह भी अप्रियर तत्व है जो किसी भी व्यक्ति की भौतिक बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए न्यूनतम अनिवार्य परिस्थितियों उत्पन्न कर करते हैं

1.3 लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्ति असीमित होने की प्रवृत्ति रखती है इसी शक्ति के दुरुपयोग कार्यपालिका कहीं मनमानी और विधायिका के बहू संकल्प वादी आवेगा से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माता ने न्यायपालिका की संविधान की संरक्षण और मौलिक अधिकारों के सजक प्रहरी के रूप में स्थापित किया इस माटी जिम्मेदारी को निभाने के लिए न्यायपालिका के पास जो सबसे अचूक और शक्तिशाली संवैधानिक अस्त्र है उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है

2 न्यायिक समीक्षा का अर्थ और संवैधानिक आधार

न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह सरकार के काम और बनाए गए कानून की जांच कर सके

सारे शब्दों में कहे तो यह देश के संविधान को सबसे ऊपर बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक सुरक्षा कवच है लिए इसी विस्तृत से और आसान भाषा में समझते हैं

2.1 न्यायिक समीक्षा का अर्थ

न्यायिक समीक्षा व कानूनी शक्तियां प्रक्रिया है जिसके बाद न्यायपालिका विशेष का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संसदीय या राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानूनिया सरकार कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश की जांच कर सकती है

2.2 यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानूनी सरकारी आधे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ और संवैधानिक हेतु न्यायालय उसे शुन्य या अवैध घोषित कर सकता है इसके बाद वह कानून देश में लागू नहीं किया जा सकता

2.3 मूल मंत्र न्यायपालिका यह दीप्ति की सरकार का कोई भी अंग संसदीय कार्यपालिका अपनी तैसी मन से बाहर जाकर ऐसा कोई काम ना करें जिससे संविधान का उल्लंघन हो

2.4 न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत एक अनुच्छेद में सीधे तौर पर परिभाषित नहीं है बल्कि पूरे संविधान के ताने बाने और कहीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में गहराई से समाहित है यदि हम इसे इसके संवैधानिक आधार की विस्तृत परिभाषा को समझे तो इसके पीछे न्याय पालिका का एक ही मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोचों को बनाए रखना और राज्य की शक्तियों को सीमित कर रखना

2.5मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13

1.1 न्यायिक समीक्षा की सबसे विस्तृत और स्पष्ट परिभाषा अनुच्छेद 13 में छपी है या अनुच्छेद न्यायपालिका को विदाई का संसद विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का सबसे बड़ा आधार देता है

2 अनुच्छेद 13 (1)यह बताएं कि संविधान लागू होने से पहले की जो भी कानून भारत में चल रहे थे यदि वे मौलिक अधिकारों से मिल नहीं खाते या उनका पालन उल्लंघन करते हैं तो वह उसे सीमा तक शून्य माने जाएंगे

3 अनुच्छेद 13 (2) राज्य सरकार संसद को साक्षी धोनी देता है कि राज्य जैसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को चिंता हो या उन्हें काम करता हो यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उल्लंघन की मात्रा तक उसे अवाद घोषित कर देगा

2.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संविधान ने केवल अधिकार नहीं दिए बल्कि उन अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट जाने की ताकत भी दी है या न्यायिक समीक्षा का व्यावहारिक आधार है

भारतीय संविधान में कहीं भी सीधे तौर पर न्याय की समीक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन संविधान के कई अनुच्छेद सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह शक्ति देते हैं

इसके मुख्य संवैधानिक आधार निम्नलिखित

1 अनुच्छेद 13 यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है या साफ करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों कुछ चिंता या काम करता हो यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक अवैध होगा

2 अनुच्छेद 32 या नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है डा.बी.आर.अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था

3 अनुच्छेद 226 या शक्ति राज्य के उच्च न्यायालय को देता है कि वह मौलिक अधिकारों में किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर रीट जारी कर सके

4 अनुच्छेद 131 और 136 यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनी की समीक्षा करने की शक्ति देते हैं

5 अनुच्छेद 246 या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है अगर संसद या राज्य विधानसभा अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानूनी बनती है तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है

6 यदि अपनी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं किया गया है लेकिन इसका सिद्धांत संविधान की आत्मा में रक्षा बस है भारत में यह शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है लेकिन सब भारतीय संदर्भ में इसे अधिक संतुलित बनाया गया है

3 न्यायिक समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत और प्रकार

स्नेहा लो ने समय-समय पर कानून की समीक्षा करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है

3.1 पृथक्करण का सिद्धांत

यदि किसी कानून का एक विशेष हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे हिस्से को बाकी कानून से अलग किया जा सकता है तो केवल वही साबित घोषित होगा पूरा कानून नहीं

3.2ग्रहण का सिद्धांत

सफेद आनी पूर्व के कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह पूरी तरह नष्ट नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा लिए जाते हैं यदि भविष्य में संविधान में संशोधन कर उसे अधिकार को हटा दिया जाए तो वह कानून पुनः जीवित हो जाता है

3.4 परित्याग का सिद्धांत

भारत में कोई भी नागरिक शिक्षा से अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता है क्योंकि यह अधिकार सार्वजनिक नीति और समाज के कल्याण के लिए दिए गए हैं

3.5 न्यायिक समीक्षा के प्रकार

किया जा सकता है भारत में न्यायिक समीक्षा को तीन प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है विधाई कार्यों की समीक्षा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और न्यायिक निर्णय की समीक्षा यह श्रेणियां न्यायपालिका को विदाई का कार्यपालिका और यहां तक की स्वयं न्यायपालिका के आचरण की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि प्रत्येक कार्य संवैधानिक सिद्धांत का पालन करें

1 विधाई कार्यों की समीक्षा

न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग विधि का द्वारा पारित कानून का मूल्यांकन करने और यह सत्यापित करने के लिए करती है कि वह भारतीय संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते इसमें यह जांच शामिल है कि क्या कोई कानून संवैधानिक प्रावधानों विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रावधानों के साथ संघर्ष करता है जबकि कानून को संवैधानिक पाया जाता है तो न्यायालय को उसे सामान्य घोषित करने का अधिकार है

2 प्रशासनिक कार्य की समीक्षा

प्रशासनिक कार्रवाई में सरकारी प्राधिकारियों या एजेंसी द्वारा दिए गए निर्णय और उपाय शामिल होते हैं नई समीक्षा की अवधारणा के तहत न्यायपालिका कोई मूल्यांकन करने का अधिकार है कि क्या यह कार्य वेद है और उन्हें प्रदा शक्तियों के दायरे में आते हैं यदि कोई प्रशासनिक उपाय मन मन भेदभाव पूर्णिया अन्य पूर्ण पाया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उसे निर्णय को अमान्य कर सकता है

3 न्यायिक निर्णय की समीक्षा

भारत में न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी लागू होते हैं न्यायपालिका के पास अपने निर्णय की पूर्ण जांच करने का अधिकारी खासकर जब कानूनी त्रुटियों को सुधारना या बदलती परिस्थितियों के आलोक में कानून की पुनर्विवाह क्या आवश्यक हो इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय व्यवस्था नहीं चुनौतियों के प्रति अनुकूलनशील और उत्तरदाई बनी रहे

4 ऐतिहासिक एवं मार्गदर्शन न्यायिक निर्णय

भारत में न्यायिक समीक्षा के विकास और मौलिक अधिकारों की रक्षा के इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित मामलों का अध्ययन अनिवार्य है

1 ए. के. गोपाल बना मद्रास राज्य (1950)

इस प्रारंभिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण वाक्य की न्यायालय ने कहा कि यदि विधायिका ने कानून सही प्रक्रिया अपनाई हेतु वह नागरिकों की रिक्ति का स्वतंत्रता छीन सकती है इस समय न्यायिक समीक्षा का धारा सीमित

2 शंकरी प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह(1965) मामला

इन मामलों में न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है

3 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

इस ऐतिहासिक मोड पर 11 न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले फैसले को पलट दिया न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती मौलिक अधिकारों को एक पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थान दिया गया

4 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973

यह भारतीय कानून इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है तेरा न्यायाधीशों की पीठ इसमें न्यायालय ने संवैधानिक संरचना का सिद्धांत

1 निर्णय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह इसके मूल राज्यों को नष्ट नहीं कर सकते

2 न्यायिक समीक्षा न्यायालय ने स्पष्ट किया की न्यायिक समीक्षा स्वयं संविधान का एक मूल राजा है और इसे किसी भी संशोधन द्वारा जीना नहीं जा सकता 9वी अनुसूची शक्तियों को भी इसी के दायरे में लाया गया

इस मामले ने अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार का चेहरा बदल दिया न्यायालय ने गोपालन के फैसले को पलटते हुए कहा कि कानून की प्रक्रिया केवल स्थापित नहीं बल्कि उचित निष्पक्ष उपन्यास संगत होनी चाहिए इसने अमेरिका का सिद्धांत कानून की उचित प्रक्रिया को भारतीय कानूनी प्रणाली में समाहित कर दिया

5 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक आत्म संयम

न्यायिक समीक्षा की शक्ति से ही न्याय सक्रियता का जन्म हुआ 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत के बाद न्यायपालिका ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र संज्ञान लेना शुरू किया

5.1सकारात्मक पहलू

बंधुआ मजदूरी पर्यावरण संरक्षण कैदियों के अधिकार और महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विशाखा गाइडलाइंस जैसे मुद्दों पर न्याय पालिका ने ऐतिहासिक कदम उठाया

1 मौलिक अधिकारों की रक्षा जब भी कार्यपालिका प्रशासन या विदाई का नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो कोर्ट सक्रिय होकर उनकी रक्षा करता है उदाहरण के लिए अनुच्छेद कीजिए का अधिकार का दायरा बढ़ाकर उसमें स्वच्छता हवा पानी प्राइवेसी और शिक्षा के अधिकार को शामिल करना न्यायिक सक्रियता ही देन है

2 गरीबों और वंचित ऊतक न्याय की पहुंच किस राज्य नहीं दिया जी का के माध्यम से कोटा ने न्यायालय के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दे जो खुद गलत नहीं पूछ सकते भेजो बदमा मजदूरी की दुनिया गरीब बच्चे आप कोई भी जागरूक नगरिया संस्थान के हक के लिए कोर्ट जा सकती है

3 प्रशासनिक जवाब नहीं और भ्रष्टाचार पर लगाओ जब सरकार हो या अधिकारों अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कोर्ट प्रमाण देश या अन्य निर्देश के जरिए उन्हें काम करने पर मजबूर करता है इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाब नहीं आती

4 संवैधानिक शून्यता को भरना कई बार देश में ऐसी परिस्थितियों आ जाती है जहां किसी गंभीर मुद्दे पर कोई कानून मौजूद नहीं होता है ऐसे में कोर्ट गाइडलाइंस जारी करके उसे कमी को पूरा करता है

उदाहरण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संसद द्वारा कानून बनाने से बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी जिसे सालों तक महिलाओं को सुरक्षा

5 शक्तियों की पृथक्करण का सम्मान संविधान इन तीनों अंगों विदाई का कार्यपालिका न्यायपालिका के काम बाते और आत्मसायम भारत कर कोडिया सुनिश्चित करता है कि वह दूसरों के काम में डकार ना दे जिससे लोकतंत्र का संतुलन बना रहता है

6 न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी राणा जब कोटा हर प्रशासन ने किया राजनीतिक मामले जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग टेस्ट नीतियों में डकल नहीं देता तो उसकी इस पक्ष और गरिमा बनी रहती है जनता का न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होता है

7 विशेषज्ञ का सम्मान आर्थिक नीतियां रक्षा सोते या तकनीकी नियम बनाने के लिए सरकार के पास एक्सपर्ट्स और इस अधिकारी होते हैं आत्म संयम दिखाते हुए कोड इन मामलों को विशेषज्ञों पर छोड़ देती है जिससे व्यावहारिक और बेहतरीन नीतियां बनती है

5.2 नकारात्मक पहल कभी-कभी न्यायपालिका अपनी सीमाओं लंका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों जैसे नीतियां बनाना बजट तय करना में हस्तक्षेप करने लगती है जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रवाहित होता है इसीलिए न्यायालय को न्यायिक आत्म संयम भी बताना चाहिए

1 शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन संविधान के अनुसार कानून बनाना विदाई का का काम है और उसे लागू करना कार्यपालिका का न्यायिक सक्रियता जब अत्यधिक हो जाती है तो यह इस संतुलन को बिगाड़ देती है

2 लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना जनता अपने प्रतिनिधि सांसद विधायक चुनती है ताकि वे कानून बनाए जाए जब अदालत खुद नीतियां तय करने लगती है तो चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व कम होने लगता है।

3 विशेषज्ञ की कमी जजों के पास कानून की विशेषज्ञ होती है लेकिन आर्थिक तकनीकी पर्यावरण या प्रशासनिक मामलों की गहरी समस्या डाटा नहीं होता बिना प्रशासनिक अनुभव के दिए गए फैसले कभी-कभी जमीन पर लागू करना संभव हो जाता है

4 अदालत ऊपर मुकदमों का बोझ बढ़ता भारतीय अदालत में पहले से ही करोड़ो की लंबी थे ऐसे में जनहित याचिका और नीतिगत मामलों में ज्यादा समय देने से सामान्य नागरिकों के नियमित मामलों में देरी होती है

5 न्यायिक निरंक पुस्तक का खतरा विदाई का की फैसले को कोर्ट बदल सकता है लेकिन अगर कोर्ट ही गलत नीति पर फैसला ले ले तो जनता के पास उसे बदलने का कोई सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होता

6 नागरिक अधिकारों की अंधे की यदि कार्यपालिका पुलिस या प्रशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो और कोर्ट आत्म संयम के नाम पर चुप बैठ जाए तो नागरिकों का न्याय से भरोसा उड़ जाएगा

7 सरकार की मनमानी को बढ़ावा अगर न्यायपाली का कड़ा रुक नहीं अपनाएंगे तो कार्यपालिका और विदाई का निरंकुश हो सकती है और बिना किसी डर के असवैधानिक कानूनी नीतू या लागू कर सकती

8 संवैधानिक शून्यता कई बार ऐसे गंभीर मुद्दे आते हैं जहां तुरंत कदम उठाना जरूरी होता है जैसे आपातकालीन या मानव अधिकारों का बड़ा उल्लंघन अगर कोर्ट आत्म संयम दिखाएं हेतु पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा

9 कमजोर वर्गों की सुरक्षा में कमी समाज के गरीब शोषित और वंचित वर्ग अक्सर अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए कोड ही आखिरी उम्मीद होती है अत्यधिक आत्म संयम से इन वर्गों का नुकसान होता है

6 समकालीन चुनौतियां और आलोचना

समकालीन चुनौतियां

समकालीन चुनौतियों का अर्थ एवं आधुनिक समस्या या परिस्थितियों जो वर्तमान समय 21वीं साड़ी में न्यायपालिका के सामने बांध बनाकर खड़ी है यह चुनौतियां बदलती तकनीकी राजनीतिक और समाज के कारण उन्नत हुई है

1कार्यकारी प्रभुत्व जब सरकार के पास भारी बहुमत होता है तो वह न्यायपालिका पर दबाव बड़ा जाता है कि वह सरकार के नीतिगत फसलों में हस्तक्षेप करें या नहीं यह संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है

2 डिजिटल और तकनीकी जटिलता आज के युग में डेटा सुरक्षा और सर्विस लाइंस जैसे पीगैसस मामला जैसे विषय कानून के सामने नहीं चुनौतियां पेश करते हैं फोटो को यह पता करना पड़ता है कि तकनीकी विकास और निजता के अधिकार में किसे प्राथमिकता दे

3 न्यायिक विलंब भारत में मामलों का आम बार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उसे न्याय पाने में 10 साल लगते हैं तो न्यायिक समीक्षा की परिभाषा ही कमजोर पर जाती है

4लंबित मामलों का बोझ न्याय मिलने में देरी होना स्वयं में मौलिक अधिकार हो तो हरित न्याय का अधिकार का उल्लंघन बन जाता है

5 नौवीं अनुसूची का दुरुपयोग अतीत में सरकारों ने कानून को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए उन्हें नौवीं अनुसूची में डाला हालांकि आई .आर कोए ल्हो के 2007 में न्यायालय ने साफ किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद मूवी अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की समीक्षा की जा सकती है यदि वह मूल राज्य का उल्लंघन करता है

6 नियुक्ति और परिदृश्यता कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका की जवाब देगी को लेकर लगातार बात बनी रहती है

आलोचनाएं

न्याय समीक्षा की भूमिका की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है

1न्यायिक अतिशयोक्ति आलोचकों का मानना है कि कभी-कभी कोर्ट कानून की समीक्षा करते-करते खुद कानून बनने लगता है जैसे नीतिगत फैसलों में दखल देना यह शक्ति है पृथक्करण किसी सिद्धांत के खिलाफ है

2लोकतांत्रिक जनादेश का टकराव सांसद जनता द्वारा चुनी जाती है जबकि न्यायाधीश नियुक्त होते हैं जब कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए कानून को रद्द करता है तो इसे जनभावना हो या लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ माना जाता है

3और स्पष्ट मूल संरचना मूल संरचना क्या है इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं है आलोचकों का कहना है कि यह न्यायपालिका को असीमित शक्ति दे देता है जिससे वह अपनी मर्जी से किसी भी कानून को संवैधानिक कह सकते हैं

7 मौलिक अधिकार और न्यायपालिका का दायित्व

1 न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक दायित्व रेट क्षेत्रधिकार

संविधान निर्णय पाली को सिर्फ अधिकारों की सूची नहीं दीपाल कि उन्हें लागू करवाने की सीधी शक्ति विधि है अगर किसी नागरिक की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे देसी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है इसके लिए मुख्य रूप से दो अनुच्छेद हथियारों काम कर सकते हैं

1 अनुच्छेद 32 इसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मकथा क्योंकि इसके बिना बाकी सारे आदिवासी कागज पर सिमट कर रह जाते हैं

2 अनुच्छेद 226 इसके तहत नागरिकों को अपने राज्यों के हाईकोर्ट जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकारी जब आप इन अनुच्छेदों के तहत कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय पांच प्रकार की रेट जारी कर सकता है

4 बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर प्रस्तुत करो अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या किसी व्यक्ति ने खेत कर रखा हेतु कोर्ट उसे तुरंत रिया करने का आदेश देता है

5 परमादेश देश हमारे देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का निभाने से मना कर दे जिसका आपका अधिकार को ठेस पहुंचे तो कोर्ट उसे काम करने को करता है

6 प्रतिषेधरोकना ऊपरी अदालत अपनी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकते हैं

7 उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के गलत फैसले को रद्द करने या रिकार्ड को ऊपर मांगने के लिए

8अधिकार प्रचछा आपका क्या अधिकार है कोई व्यक्ति किस-किस से किसी सरकारी पद पर बैठा है कोड इसकी व्यवस्था की जांच करता है

8 निष्कर्ष

भारतीय संविधानिक लोकतंत्र के इतिहास और भविष्य को देखते हुए न्यायिक समीक्षा के महत्व को महत्व निम्नलिखित विस्तृत बिंदुओं के माध्यम से निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

संविधान की सर्वोच्चता का अंतिम उद्घोष

1 भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता जैसे कि ब्रिटेन में है और न्यायिक सर्वोच्चता जैसे कि अमेरिका में है के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है या ना तो सांसद निरंकुश है और ना ही न्यायपालिका न्याय समीक्षा वास्तव में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का दवा नहीं है बल्कि या इस बात का प्रमाण एक ही भारत में केवल संविधान की सर्वोच्चता है जब कोटी किसी कानून को रद्द करता है तो वह जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के प्रति अपनी शपथ के प्रति वफादार होता है

2 कागजी अधिकारों को जीवंत बनाने का माध्यम

संविधान के भाग 3 में लिखे गए मौलिक अधिकार तब केवल पवित्र दस्तावेज के अमृत शब्द मात्र है जब तक कि उन्हें लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा जैसे जीवंत शक्ति उपलब्ध नहीं हो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 और संविधान की आत्मा और हृदय कहा था और न्यायिक समीक्षा हुआ धड़कन है जो इस आत्मा को जीवित रखती है एक के गोपालन 1950 की संकीर्ण व्याख्या से लेकर पुत्र स्वामी 2017 की विस्तृत व्याख्या तक का सफारी दिखता है कि न्यायिक समीक्षा ने बदलते समय के साथ नागरिकों के अधिकारों को बूढ़ा नहीं होने दिया बल्कि उन्हें और अधिक और मजबूत बनाया है

3 लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व

समकालीन दौड़ में राजनीतिक बहुमत के कारण कार्यपालिका का शक्ति सिद्ध होना स्वाभाविक है ऐसे समय में न्यायाधीश समीक्षा लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करती है यस सुनिश्चित करती है कि बहुमत का शासन कहीं बहुजन के बाद की निरंकुश्ता में ना दब जाए यद्यपि न्यायिक विलंब और न्यायिक अति शिवयोग की जैसी आलोचनाएं अपनी जगह सही है और न्याय पालिका को इसमें आती निरीक्षण करने की आवश्यकता है फिर भी इन कर्मियों के कारण इस शक्ति के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है

4 अंतिम विचार

संक्षेप में न्यायिक समीक्षा भारतीय गणतंत्र का वह तीसरा नेत्र और अंतिम रक्षक है जो राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगता है यदि नई समीक्षा को कमजोर किया गया तो लोकतांत्रिक ताना-बाना बिखर जाएगा एक स्वस्थ लोकतंत्र का मार्ग इसी में है कि न्यायपालिका अपने हिसाब सीमित शक्ति का प्रयोग अत्यंत जिम्मेदारी इस पक्ष और न्यायिक संयम के साथ करें ताकि जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास सदा देव अटूट बना रहे

9 सुझाव

भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक समीक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय रही है यदि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत और मेनका गांधी मामले जैसे प्रतिशील व्याख्यान न किए होते तो राजनीतिक बहुमत नागरिक स्वतंत्रता को कुचल सकता था न्यायिक समीक्षा ने भारत को एक पुलिस राज्य बनाने से रोककर एक कल्याणकारी राज्य और सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित

9.1न्यायिक समीक्षा की शक्ति और मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक और कानूनी सुझाव दिए जा सकते हैं

1 संवैधानिक पीठों का समय पर गठन मौलिक अधिकारों और व्यापक जनहित से जुड़े गंभीर संवैधानिक मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थाई संवैधानिक पीठ होनी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण मामलों पर बिना देरी के निर्णय आ सके

2 मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा बंदी प्रत्यक्षीकरण और व्यक्ति का स्वतंत्रता से जुड़ी यशिकाओं के निपटारे के लिए एक सशक्त समय सीमा तय होनी चाहिए न्याय द में देरी वस्तुओं में न्याय से वंचित करना है

3 मूल संरचना के सिद्धांतों को और स्पष्ट करना मूल संरचना के दायरे को समय-समय पर अधिक स्पष्ट और परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति काम हो और कानूनी निश्चित तथा बनी रहे

4 तकनीकीकी विशेषज्ञ का समावेश समकालीन चुनौतियां जैसे डेटा सुरक्षा आई और डिजिटल सर्विस लाइंस के मामलों में कोर्ट को तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए ताकि दिए गए निर्णय तकनीकी और कानूनी दोनों रूपों में व्यावहारिक हो

5 न्यायिक संयम का पालन न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिशयोक्ति के बीच की पतली लकीर को समझना होगा फोटो को नीतिगत फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक की भी स्पष्ट रूप से आज संवैधानिक या दुर्भावना पूर्ण ना हो

6 संतुलन आवश्यक न्यायपालिका को सक्रिय रहना चाहिए लेकिन विधायिका के आधार क्षेत्र का सम्मान करते हुए अतिक्रमण से बचना चाहिए

7 प्रक्रिया में तेजी संवैधानिक मामलों और मौलिक अधिकारों से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा एक निश्चित समय के भीतर होना चाहिए

8 जागरूकता ग्रामीण और दुर्गादास के क्षेत्र के नागरिकों को अनुच्छेद 32 और कानूनी उपचारों के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सके

10 संदर्भ सूची

1 भारत का संविधान

2 एम. पी. जैन भारतीय संवैधानिक विधि

3 डी.डी बसु भारत के संविधान का परिचय

4 सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

1 न्यायिक निर्णय

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973

मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978

मिनर्व मिलस बनाम भारत संघ 1980

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997

जस्टिस के .एस पुत्तू स्वामी बनाम भारत संघ 2017

2 पुस्तक के

1. जैन, एम.पी., भारतीय संवैधानिक विधि, लेक्सिसनेक्सिस (सत्रहवां संस्करण)।

2. पांडे, डॉ. जे.एन., भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज.

3. ऑस्टिन, ग्रेनविले, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

3 शोध पत्र एवं जर्नल

1 Judicial Review and the Basic Structure Doctrine: The Shield of Indian Democracy)

2 (The Changing Role of Judiciary in Enforcing Fundamental Rights under Articles 13 and 32)

3Journal of the Indian Law Institute

4 Supreme Court Cases

4 ऑनलाइन स्रोत

1 escr.sci.gov.in

2 www.ssrn.com

3 www.jstor.org

4 www.barandbench.com